



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21102026-277309
CG-DL-E-21102026-277309

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5503]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 21, 2026/आश्विन 29, 1948

No. 5503]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 21, 2026/ASVINA 29, 1948

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर, 2026

का.आ. 5720(अ).— केंद्रीय सरकार वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 38- क के साथ पठित धारा 38- ख की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की तारीख 13 सितंबर, 2023 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं. का. आ. 4057(अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

2. उक्त अधिसूचना के अंतर्गत,-

(क) क्रम संख्या 1 से क्रम संख्या 12 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“

1.	मंत्री, प्रभारी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,	अध्यक्ष;
----	---	----------

	भारत सरकार, नई दिल्ली	
2.	सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य;
3.	वन महानिदेशक और विशेष सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य;
4.	अपर वन महानिदेशक (वन्य जीव) और निदेशक, वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य;
5.	अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य;
6.	निदेशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून, उत्तराखंड	सदस्य;
7.	निदेशक, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	सदस्य;
8.	उपाध्यक्ष, भारतीय उद्योग परिसंघ, नई दिल्ली	सदस्य;
9.	डॉ. सुबीर एस. मजूमदार, पूर्व महानिदेशक, गुजरात बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, गांधीनगर, गुजरात	सदस्य;
10.	श्री अमिताभ अग्निहोत्री, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक (सेवानिवृत्त), राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर, मध्य प्रदेश	सदस्य;
11.	डॉ. रंजना गुप्ता, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं	सदस्य;

	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक(सेवानिवृत्त), असम	
12.	सदस्य सचिव, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली।	सदस्य-सचिव।

”;

(ख) पैराग्राफ 2 के स्थान पर निम्नलिखित पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा ,अर्थात्:-

“2. केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 31 मार्च, 2027 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, प्रभावी होगा।”

[फा. सं. 7-13/2026- सी.जेड.ए. भाग(1)]

डॉ. वैभव सी. माथुर, वन महानिरीक्षक (वन्यजीव)

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में सं. का. आ. 4057(अ), तारीख 13 सितंबर, 2023 के द्वारा प्रकाशित की गई थी।

**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st October, 2026

S.O. 5720(E).— In exercise of the powers conferred by section 38A read with sub-section (1) of section 38B of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* S.O. 4057(E) dated the 13th September, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), namely:-

2. In the said notification,-

(a) for serial numbers 1 to 12 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:-

“

1.	Minister in charge of the Environment, Forest and Climate Change, Government of India, New Delhi	Chairperson;
2.	Secretary to the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, New Delhi	Member;
3.	Director General of Forests and Special Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, New Delhi	Member;
4.	Additional Director General of Forests (Wild Life) and Director, Wild Life Preservation, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, New Delhi	Member;
5.	Additional Secretary and Financial Advisor,	Member;

	Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, New Delhi	
6.	Director, Wildlife Institute of India, Dehradun, Uttarakhand	Member;
7.	Director, Zoological Survey of India, Kolkata, West Bengal	Member;
8.	Vice President, Confederation of Indian Industry, New Delhi	Member;
9.	Dr. Subeer S. Majumdar, Ex-Director General, Gujarat Biotechnology University, Gandhinagar, Gujarat	Member;
10.	Sh. Amitabh Agnihotri, Principal Chief Conservator of Forests and Director (Retd.), State Forest Research Institute, Jabalpur, Madhya Pradesh	Member;
11.	Dr. Ranjana Gupta, Principal Chief Conservator of Forests and Chief Wildlife Warden (Retd.), Guwahati, Assam	Member;
12.	Member Secretary, Central Zoo Authority, New Delhi.	Member-Secretary.

”;

(b) for paragraph 2, the following paragraph shall be substituted, namely:-

“2.The tenure of the Chairperson and Members of the Central Zoo Authority shall be upto 31st March, 2027 or until further orders, whichever is earlier.”.

[F. No. 7-13/2026-CZA-Part (1)]

Dr. VAIBHAV C. MATHUR, Inspector General of Forests (Wildlife)

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 4057(E) dated the 13th September, 2023.